दिनांक: 23/05/2026

सेवा में,

थाना प्रभारी महोदय,

अलीनगर थाना

विषय: अवैध हथियार से जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज, सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन एवं शांति भंग करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं, किरन देवी, उम्र लगभग 56 वर्ष, पति स्वर्गीय श्रीकांत लाल देव, निवासी ग्राम– श्यामपुर, थाना– अलीनगर, जिला– दरभंगा, अपने एवं अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ।

पूर्व से ही ललिता देवी, पति तारानंद लाल देव, निवासी ग्राम–जगवनी, थाना– अलीनगर, जिला– दरभंगा एवं विपक्षीगण लक्ष्मी लाल देव, किरानी लाल देव दोनों पिता स्वर्गीय विंदेश्वर लाल देव, तथा तरुण कुमार देव, वरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव तीनों पिता लक्ष्मी लाल देव, सभी निवासी ग्राम– श्यामपुर, थाना– अलीनगर, जिला– दरभंगा, के बीच आपसी विवाद एवं तनाव की स्थिति बनी हुई है। उक्त संबंध में ललिता देवी द्वारा दिनांक 22/05/2026 को संभावित अप्रिय घटना एवं शांति भंग होने की आशंका को लेकर अलीनगर थाना में लिखित सूचना भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके विपक्षीगण लगातार आक्रामक एवं उग्र व्यवहार करते हुए भय, आतंक एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं तथा गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से मुझेऔरमेरेपरिवार को लगातार धमकाते एवं भयभीत करते आ रहे हैं।

Registered Alinagar PS Case No- 64/2026 dated 23.05.2026 u/s-126(2)/115(2)/352/351(2)/3(5) BNS Reg. ASI Hare Ram will Plz investigate this case.

Sd/ 23.05.2026
SHO Alinagar PS

दिनांक 22/05/2026 को लगभग शाम 7:00 बजे पुनः दोनों पक्षों के बीचमेरेहीघरकेपास कहा-सुनी एवं विवाद होने लगा। उसी दौरान मै बीच-बचाव एवं समझाने हेतु वहां पहुंची, परंतु उपरोक्त सभी विपक्षीगण एकजुट होकर मेरेऔरमेरेपरिवार के साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगे तथा मारपीट एवं जान से मारने की नीयत से आक्रामक हो गए। इसी क्रम में तरुण कुमार देव द्वारा अवैध देशी कट्टा/बंदूक निकालकर मेरे ओर तान दिया गया तथा खुलेआम जान से मार देने की धमकी दी गई। उक्त घटना से वहां उपस्थित ग्रामीणों, महिलाओं एवं बच्चों में भारी भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार बीच-बचाव कर किरन मुझेऔरमेरेपरिवार को सुरक्षित बचाया गया, अन्यथा गंभीर एवं जानलेवा घटना घट सकती थी।

घटना की गंभीरता एवं भयावह स्थिति को देखते हुए मनीष कुमार देव द्वारा तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा तथा मामले की गंभीरता एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना लेकर गई।

साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि तरुण कुमार देव द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम हथियार/देशी कट्टा लहराते हुए पोस्ट एवं वीडियो अपलोड किया गया है, जिससे क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। उक्त कृत्य यह स्पष्ट करता है कि विपक्षीगण आदतन असामाजिक, दबंग एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा किसी भी समय गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त घटना की गंभीरता, अभियुक्तगण की आपराधिक एवं आक्रामक प्रवृत्ति, अवैध हथियार के खुलेआम प्रदर्शन, जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया के माध्यम से भय एवं आतंक फैलाने तथा क्षेत्र की विधि-व्यवस्था भंग करने के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण लक्ष्मी लाल देव, किरानी लाल देव, दोनों पिता स्व० विंदेश्वर लाल देव, तथा तरुण कुमार देव, वरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव तीनों पिता लक्ष्मी लाल देव, सभी निवासी ग्राम– श्यामपुर, थाना– अलीनगर, जिला– दरभंगा, के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष एवं गहन अनुसंधान कराया जाए।

साथ ही अभियुक्त तरुण कुमार देव द्वारा प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी, फेसबुक पर अपलोड किए गए हथियार संबंधी पोस्ट/वीडियो की तकनीकी जांच, मोबाइल फोन की जब्ती एवं डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, घटना की गंभीरता एवं अभियुक्तगण द्वारा उत्पन्न भय एवं आतंक के वातावरण को देखते हुए अभियुक्तगण तरुण कुमार देव, एवं अरुण कुमार देव, जिन्हें पुलिस द्वारा घटनास्थल से थाना लाया गया था, को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए शेष अभियुक्तों की भी अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित अथवा मेरेऔरमेरेपरिवारकेसाथएवं समाजमेंकिसीके साथ पुनः किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सकें।

साथ ही मेरेऔरमेरेपरिवारकी जान-माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस संरक्षण प्रदान करने की कृपा की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक: 23/05/2026

स्थान: अलीनगर

भवदीया,

किरन देवी

पति – स्व० श्रीकांत लाल देव

निवासी – ग्राम श्यामपुर, थाना अलीनगर, जिला दरभंगा

मोबाइल नं.: 6201176952

हस्ताक्षर: निशान किरण देवी

Manish Kumar Deo पिता – श्याम लाल देव
Mob – 6201176952

अभिजीत कुमार देव
पिता – स्व – श्रीकांत लाल देव

धनंजीत कुमार देव पिता – श्याम लाल देव
मो० – 7542956563
23/05/2026

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूचि - 47, प्रपत्र सं0-118 पु0ह0प्रपत्र सं0-26 (नियम - 143)

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 173 B.N.S.S)

(धारा 173 बी.एन.एस.एस. के तहत)

1 **District (जिला)** दरभंगा **P.S. (थाना):** अलीनगर थाना

Year (वर्ष): 2026 **FIR No. (प्र.सू.रि.सं0):** 5106056260067 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि की दिनांक और समय):** 23/05/2026 16:10

2 (i) **Act (अधिनियम)** भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 **Sections (धाराएँ)** 126(2),115(2),325,351(2),3(5)

3 (a) **Occurrence of offence:**
(a) **(अपराध की घटना):**

Day. (दिन) शुक्रवार **Date from (तारीख से)** **Date to (तारीख तक)** 22/05/2026

Time Period (समय सीमा) **Time from (समय से)** **Time to (समय तक)** 07:00

(b) **Information received at PS:**
(b) **(थाना पर सूचना प्राप्त):** **Date (दिनांक)** 23/05/2026 **Time (समय)** 16:00

(c) **Station Diary Reference:**
(c) **(थाना दैनिकी संदर्भ)** 0817/23052026 **Date and Time (दिनांक और समय)** 23/05/2026 16:10

4 **Type of Information received: (प्राप्त सूचना का प्रकार):** लिखित

5 **Place of Occurrence: (घटनास्थल):**

(a) **Direction and distance from the P.S.**
(a) **(थाना से दिशा एवं दूरी)** दक्षिण ,3.00 किलोमीटर

(b) **Beat No./** 8
(b) **Circle No. (बीट सं./ सर्किल नं0)**

Scanned with OKEN Scanner

(c) (i)Address थाना अलीनगर जिला दरभंगा
(c) (पता) ग्राम श्यामपुर
Complainant/Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता) अलीनगर थाना , दरभंगा
बिहार , भारत

(a) Name
(a) (नाम) किरण देवी

(b) (b) Father's / Husband's Name (पिता / पति का नाम) स्व० श्रीकान्त लाल देव

(c) Date/Year of Birth
(c) (जन्म तिथि/ वर्ष)

(d) (d) Nationality (राष्ट्रीयता) भारतीय

(e) UID No.
(e) (युआईडी सं.):

(f) Passport No.
(f) (पासपोर्ट सं0):

Date of Issue (जारी करने का दिनांक)

Place of Issue (जारी करने का स्थान)

(g)ID Details(Ration Card/Voter ID Card/Passport/UID No./Driving License/PAN or any other valid ID)
(g) पहचान विवरण (राशन कार्ड/मतदाता कार्ड/ पासपोर्ट/यूआईडी सं./ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड या अन्य कोई वैध पहचान दतावेज)

S. No. (क्र. सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Not Available. (उपलब्ध नहीं है)	ID Number (पहचान संख्या)
1			

(h) Occupation
(h) (व्यवसाय)
(e) (युआइडा स.):

(i) Present Address
(i) (वर्तमान पता)
थाना अलीनगर
जिला दरभंगा
ग्राम श्यामपुर
अलीनगर थाना ,
दरभंगा
बिहार , भारत

Permanent Address
(स्थाई पता)
थाना अलीनगर
जिला दरभंगा
ग्राम श्यामपुर
अलीनगर थाना ,
दरभंगा
बिहार , भारत

(j) Phone number
(j) (दूरभाष स.):

(k) (k) Mobile (मोबाईल सं.): 916201176952

7 Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars:
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त की पुरी विवरणी)

Sr.No. (अनुक्रमांक)	Name (नाम)	Alias Name (उपनाम)	Father's / Husband's Name (पिता / पति का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
(1)	लक्ष्मी लाल देव		स्व० विन्देस्वर लाल देव	थाना अलीनगर जिला दरभंगा ग्राम श्यामपुर अलीनगर थाना , दरभंगा बिहार , भारत
(2)	वरुण कुमार देव		लक्ष्मी लाल देव	थाना अलीनगर जिला दरभंगा ग्राम श्यामपुर अलीनगर थाना , दरभंगा बिहार , भारत

Scanned with OKEN Scanner

	किरानी लाल देव	स्व० विन्देश्वर लाल देव	थाना अलीनगर जिला दरभंगा ग्राम श्यामपुर अलीनगर थाना , दरभंगा बिहार , भारत
(4)	तरुण कुमार देव	लक्ष्मी लाल देव	थाना अलीनगर जिला दरभंगा ग्राम श्यामपुर अलीनगर थाना , दरभंगा बिहार , भारत
(5)	अरुण कुमार देव	लक्ष्मी लाल देव	थाना अलीनगर जिला दरभंगा ग्राम श्यामपुर अलीनगर थाना , दरभंगा बिहार , भारत

8 **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा प्रतिवेदित करने में विलम्ब का कारण)

9 **Particulars of items of interest**
(संबंधित वस्तुओं का विवरण)

10 **Total Value of items in Rs./-**
(वस्तुओं का कुल मूल्य रुपये में)

11 **Inquest Report/U.D. case No. if any**
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण संख्या, यदि कोई हो)

12 **First Information contents**
(प्रथम सुचना तथ्य)

अबैध हथियार से जान से मारने की धमकी दने के संबंध में

1 alinagar 19.59 (1).pdf

Complaint(शिकायत)

सेवा में,
थाना प्रभारी महोदय,
अलीनगर थाना
विषयः अवैध हथियार से जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज, सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन एवं शांति भंग करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई हेतु आवेदन।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं, किरन देवी, उम्र लगभग 56 वर्ष, पति स्वर्गीय श्रीकांत लाल देव, निवासी ग्राम श्यामपुर, थाना- अलीनगर, जिला- दरभंगा, अपने एवं अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। पूर्व से ही ललिता देवी, पति तारानंद लाल देव, निवासी ग्राम-जगवनी, थाना- अलीनगर, जिला- दरभंगा एवं विपक्षीगण लक्ष्मी लाल देव, किरानी लाल देव दोनों पिता स्वर्गीय विंदेश्वर लाल देव, तथा तरुण कुमार देव, वरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव तीनों पिता लक्ष्मी लाल देव, सभी निवासी ग्राम- श्यामपुर, थाना- अलीनगर, जिला- दरभंगा, के बीच आपसी विवाद एवं तनाव की स्थिति बनी हुई है। उक्त संबंध में ललिता देवी द्वारा दिनांक 22/05/2026 को संभावित अप्रिय घटना एवं शांति भंग होने की आशंका को लेकर अलीनगर थाना में लिखित सूचना भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके विपक्षीगण लगातार आक्रामक एवं उग्र व्यवहार करते हुए भय, आतंक एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं तथा गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से मुझेऔरमेरेपरिवार को लगातार धमकाते एवं भयभीत करते आ रहे हैं।दिनांक 22/05/2026 को लगभग शाम 7:00 बजे पुनः दोनों पक्षों के बीचमेरेहीघरकेपास कहा-सुनी एवं विवाद होने लगा। उसी दौरान मै बीच-बचाव एवं समझाने हेतु वहां पहुंची, परंतु उपरोक्त सभी विपक्षीगण एकजुट होकर मेरेऔरमेरेपरिवार के साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगे तथा मारपीट एवं जान से मारने की नीयत से आक्रामक हो गए। इसी क्रम में तरुण कुमार देव द्वारा अवैध देशी कट्टा/बंदूक निकालकर मेरे ओर तान दिया गया तथा खुलेआम जान से मार देने की धमकी दी गई। उक्त घटना से वहां उपस्थित ग्रामीणों, महिलाओं एवं बच्चों में भारी भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार बीच-बचाव कर किरन मुझेऔरमेरेपरिवार को सुरक्षित बचाया गया, अन्यथा गंभीर एवं जानलेवा घटना घट सकती थी।
घटना की गंभीरता एवं भयावह स्थिति को देखते हुए मनीष कुमार देव द्वारा तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा तथा मामले की गंभीरता एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना लेकर गई। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि तरुण कुमार देव द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम हथियार/देशी कट्टा लहराते हुए पोस्ट एवं वीडियो अपलोड किया गया है, जिससे क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। उक्त कृत्य यह स्पष्ट करता है कि विपक्षीगण आदतन असामाजिक, दबंग एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं

Scanned with OKEN Scanner

तथा किसी भी समय गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं।रान मे विपक्षीगण करने अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त घटना की गंभीरता, अभियुक्तगण की आपराधिक एवं आक्रामक प्रवृत्ति, अवैध हथियार के खुलेआम प्रदर्शन, जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया के माध्यम से भय एवं आतंक फैलाने तथा क्षेत्र की विधि-व्यवस्था भंग करने के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण लक्ष्मी लाल देव, किरानी लाल देव, दोनों पिता स्व० विंदेश्वर लाल देव, तथा तरुण कुमार देव, वरुण कुमार देव एवं अरुण कुमार देव तीनों पिता लक्ष्मी लाल देव, सभी निवासी ग्राम- श्यामपुर, थाना- अलीनगर, जिला- दरभंगा, के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष एवं गहन अनुसंधान कराया जाए।साथ ही अभियुक्त तरुण कुमार देव द्वारा प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी, फेसबुक पर अपलोड किए गए हथियार संबंधी पोस्ट/वीडियो की तकनीकी जांच, मोबाइल फोन की जब्ती एवं डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।इसके अतिरिक्त, घटना की गंभीरता एवं अभियुक्तगण द्वारा उत्पन्न भय एवं आतंक के वातावरण को देखते हुए अभियुक्तगण तरुण कुमार देव, एवं अरुण कुमार देव, जिन्हें पुलिस द्वारा घटनास्थल से थाना लाया गया था, को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए शेष अभियुक्तों की भी अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित अथवा मेरे और मेरे परिवार के सा थएवं समाजमेंकिसीके साथ पुनः किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सकें।
साथ ही मेरेऔर मेरे परिवारकी जान-माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस संरक्षण प्रदान करने की कृपा की जाए।दिनांक: 23/05/2026

स्थानः अलीनगर भवदीया,
किरन देवी
पति - स्व० श्रीकांत लाल देव .
निवासी - ग्राम श्यामपुर, थाना अलीनगर, जिला दरभंगा
मोबाइल नं: 6201176952
हस्ताक्षर
निशान किरण देवी
पति श्याम लाल देव Mob-6201176952
अभिजीत कुमार देव
पिता-स्व-श्रीकांत लाल देव
धनंजीत कुमार देव पिता-श्याम लान देन
मो०-754295-6563 23/05/2026
Registerd Alinagar ps case no – 67/26 dt 23/05/26 u/s- 126(2)/115(2) /352/351(2)/3(5) BNS 2023 ASI HARE RAM will pls investigate this case.
sd RANJIT KU SHRMA
dt-23/05/26
sho Alinagar ps

Action Taken : Since the above information reveals commission of offences u/s as mentioned at Item No. 2:
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से मद संख्या - 2 में उल्लेखित धारा के अन्तर्गत अपराध होना प्रकट होता है):

13 (1) Registered the case and took up the investigation(प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान के लिए लिया गया)

(2) Directed (Name of I.O.) (अनुसंधानकर्ता का नाम) :- हरे राम Rank(पंक्ति):- सहायकउप - निरीक्षक No.(सं0):- har241082 to take up the Investigation (को अनुसंधान ग्रहण करने क लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused Investigation due to(अनुसंधान के लिए इंकार करने का कारण)

14 F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्र.सू.रि. पढ़ कर सुनाई गयी , सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निशुल्क दी गयी)

Signature of Officer In charge of Police Station
(थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर)

15 Signature/Thumb Impression of the complainant/informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): रंजीत कुमार शर्मा
Rank (पंक्ति): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं०): ran040796

Scanned with OKEN Scanner